WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112024-258582
CG-DL-E-11112024-258582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2024/कार्तिक 20, 1946
No. 635]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2024/KARTIKA 20, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2024

सा. का. नि. 694(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, (कंपनी अभियोजक - समूह 'ख', राजपत्रित, पद) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के कार्यालयों में कंपनी अभियोजक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी अभियोजक, समूह 'ख', राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

4. निरर्हता.- कोई व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह कि केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद के नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कंपनी अभियोजक	120* (2024)। कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष से अनधिक। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण.-** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि में स्नातक डिग्री या विधि में एकीकृत डिग्री। **टिप्पणी.-** अर्हताएं अन्यथा सअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण.-** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा पूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहिर्त कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण.-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी -

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

				(क)(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव प्रशासन, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य; 3. अवर सचिव प्रशासन, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य;	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/1/2022-प्रशा.II-एमसीए]

अनुराधा ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2024

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Corporate Affairs, Field Offices (Company Prosecutor - Group 'B', Gazetted, Posts) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Company Prosecutor, in the offices of the Ministry of Corporate Affairs, namely: —

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Company Prosecutor, Group 'B', Gazetted Posts Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.— The method of recruitment to the said posts, age -limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Company Prosecutor.	120* (2024). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 (Rs.44,900 –1,42,400) in the pay matrix.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 Years. Relaxable for government servants upto five years in accordance	Bachelor degree in law or integrated degree in law from a recognized university or institution.	Not applicable.	Two years **Note.**—Direct recruits would be required to successfully Complete a	By direct recruitment. **Note.**— Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.—** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Note.—** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.		mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.	one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in post in level 6 of the pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** 1.Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs — Chairman; 2.Director or Deputy Secretary of administration, Ministry of Corporate Affairs — Member; 3.Under Secretary of administration, Ministry of Corporate Affairs — Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-12018/1/2022-Ad.II-MCA]

ANURADHA THAKUR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.